रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 336] नई दिल्ली, सोमवार, जून 03, 2019/ज्येष्ठ 13, 1941
No. 336] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 03, 2019/JYAISTHA 13, 1941

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जून, 2019

सा.का.नि. 401(अ).—केंद्रीय सरकार, सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011 (2011 का 11) की धारा 24 की उप-धारा (2) के खंड (घ) और (ड.) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का नाम सिक्का निर्माण (श्री सतगुरू राम सिंह जी की द्वितीय जन्म शताब्दी के अवसर पर दो सौ रुपये और दस रुपये मूल्य के स्मारक सिक्के जारी करना) नियम, 2019 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. सिक्कों का अंकित मूल्य.—**"श्री सतगुरू राम सिंह जी की द्वितीय जन्म शताब्दी"** के अवसर पर केन्द्र सरकार के प्राधिकार के अधीन जारी करने हेतु टकसाल में निम्नलिखित मूल्यवर्ग के सिक्कों का निर्माण भी किया जाएगा, नामत:—

(i) दो सौ रुपये;

(ii) दस रुपये।

3. सिक्कों की विमाएं और संरचना.—नियम 2 में उपर्युक्त अंकित मूल्य के सिक्के निम्नलिखित विमाओं और संरचना के अनुरूप होंगे, अर्थात :—

सिक्के का अंकित मूल्य	आकृति और बाह्य व्यास	दांतों की संख्या	धातु संरचना
(1)	(2)	(3)	(4)
दो सौ रुपये	वृत्ताकार 44 मिलीमीटर	200	**चतुर्थक मिश्र धातु** रजत– 50 प्रतिशत

			तांबा – 40 प्रतिशत निकल – 05 प्रतिशत जस्ता – 05 प्रतिशत
दस रुपये	वृत्ताकार 27 मिलीमीटर (द्वि-धातु)	-	**बाह्य वलय** (एल्युमीनियम कांस्य) तांबा- 92 प्रतिशत एल्युमीनियम – 06 प्रतिशत निकल- 02 प्रतिशत **मध्य भाग** (कूप्रो निकल) तांबा- 75 प्रतिशत निकल- 25 प्रतिशत

4. **डिज़ाइन.**—सिक्कों का डिज़ाइन इन नियमों की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट किए अनुसार होगा।

5. **मानक वजन तथा अनुज्ञात छूट.**—श्री सतगुरू राम सिंह जी की द्वितीय जन्म शताब्दी मनाने के लिए उपर्युक्त अंकित मूल्य के सिक्के का मानक वजन और ऐसे सिक्के को बनाने में अनुज्ञात छूट इन नियमों की दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए अनुसार होगी।

पहली अनुसूची

(नियम 4 देखें)

(i) दो सौ रुपये

अग्र भाग

सिक्के के मुख भाग पर मध्य में अशोक स्तम्भ का सिंह शीर्ष होगा, जिसके नीचे **"सत्यमेव जयते"** उत्कीर्णित होगा, उसकी बायीं परिधि पर देवनागरी लिपि में **"भारत"** शब्द और दायीं परिधि पर अंग्रेजी में **"INDIA"** शब्द होगा। सिंह शीर्ष के नीचे रुपये का प्रतीक **"₹"** और अंतरराष्ट्रीय अंकों में अंकित मूल्य **"200"** भी होगा ।

पृष्ठ भाग

सिक्के के इस भाग पर मध्य में "श्री सतगुरू राम सिंह जी" का चित्र होगा। सिक्के की ऊपरी परिधि पर देवनागरी लिपि में **"श्री सतगुरू राम सिंह जी की द्वितीय जन्म शताब्दी"** तथा निचली परिधि पर अंग्रेजी में **"2nd BIRTH CENTENARY OF SRI SATGURU RAM SINGH JI"** उत्कीर्णित होगा। चित्र के नीचे अंतरराष्ट्रीय अंकों में वर्ष "1816-2016" अंकित होगा।

(ii) दस रुपये

अग्र भाग

सिक्के के मुख भाग पर मध्य में अशोक स्तम्भ का सिंह शीर्ष होगा, जिसके नीचे **"सत्यमेव जयते"** उत्कीर्णित होगा, उसकी बायीं परिधि पर देवनागरी लिपि में **"भारत"** शब्द और दायीं परिधि पर अंग्रेजी में **"INDIA"** शब्द होगा। सिंह शीर्ष के नीचे रुपये का प्रतीक **"₹"** और अंतरराष्ट्रीय अंकों में अंकित मूल्य **"10"** भी होगा ।

पृष्ठ भाग

सिक्के के इस भाग पर मध्य में "श्री सतगुरू राम सिंह जी" का चित्र होगा। सिक्के की ऊपरी परिधि पर देवनागरी लिपि में **"श्री सतगुरू राम सिंह जी की द्वितीय जन्म शताब्दी"** तथा निचली परिधि पर अंग्रेजी में **"2nd BIRTH CENTENARY OF SRI SATGURU RAM SINGH JI"** उत्कीर्णित होगा। चित्र के नीचे अंतरराष्ट्रीय अंकों में वर्ष "1816-2016" अंकित होगा।

दूसरी अनुसूची

(नियम 5 देखें)

सिक्के का अंकित मूल्य	मानक वजन	अनुमत छूट	
		संघटन में	मानक वजन में
(1)	(2)	(3)	(4)
दो सौ रुपये	35 ग्राम	रजत में 1/500वां हिस्सा कम या अधिक अर्थात् रजत के अंश में प्रति 1000 में 498 से 502 तक का अंतर हो सकेगा ।	1/100वां कम या अधिक अर्थात् वजन 34.65 ग्राम से 35.35 ग्राम के बीच हो सकता है ।
दस रुपये	7.71 ग्राम (बाह्य वलय 4.45 ग्राम तथा मध्य भाग 3.26 ग्राम)	**बाह्य वलय (एल्युमीनियम कांस्य)** एल्युमीनियम 5.5 प्रतिशत से 6 प्रतिशत तक। निकल- 1.75 प्रतिशत से 2 प्रतिशत तक तथा बचा हुआ हिस्सा तांबा। **मध्य भाग (कूप्रोनिकल)** तांबा एवं निकल दोनों के लिए 1 प्रतिशत कम या अधिक अर्थात, तांबे में 74 प्रतिशत से 76 प्रतिशत तक तथा निकल में 24 प्रतिशत से 26 प्रतिशत तक का अंतर हो सकेगा।	2.5 प्रतिशत कम या अधिक अर्थात् वजन में 7.52 ग्राम से 7.90 ग्राम तक का अंतर हो सकेगा।

[फा. सं. 04/06/2016-सिक्का]

प्रशांत गोयल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd June, 2019

G.S.R. 401(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (d) and (e) of sub-section (2) of section 24 of the Coinage Act, 2011 (11 of 2011), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. **Short title and commencement.**–(1)These rules may be called the Coinage of issue of Two Hundred and Ten Rupees Coins to commemorate the occasion of 2nd Birth Centenary of Sri Satguru Ram Singh Ji Rules, 2019.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Denomination of coins.**–The coins of the following denominations shall also be coined at the Mint for issue under the authority of the Central Government to commemorate the occasion of **"2nd Birth Centenary of Sri Satguru Ram Singh Ji**", namely:—

   (i) Two Hundred Rupees;

   (ii) Ten Rupees.

3. **Dimension and composition of coins.**–The coins of the denominations mentioned in rule 2 shall conform to the following dimensions and composition, namely:—